



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री दिनेश गुरनानी पुत्र श्री राधा गोविन्द गुरनानी	श्री ब्रिजेश सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	01	1000.00	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री आनन्द विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, विक्रय पत्र एवं प्रमाण पत्र
2.	श्री बाबूलाल गुरनानी पुत्र श्री रेवाचन्द गुरनानी	श्री ब्रिजेश सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	06	1000.00	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री आनन्द विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, विक्रय पत्र एवं प्रमाण पत्र
3.	श्री नारायणदास गुरनानी पुत्र श्री रेवाचन्द गुरनानी	श्री ब्रिजेश सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	05	1000.00	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री आनन्द विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, विक्रय पत्र एवं प्रमाण पत्र
4.	श्री अक्षय कुमार गुरनानी पुत्र श्री विष्णु गुरनानी	श्री ब्रिजेश सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	07	1000.00	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री आनन्द विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, विक्रय पत्र एवं प्रमाण पत्र
5.	श्री मुकेश गुरनानी पुत्र श्री नारायण दास गुरनानी	श्री ब्रिजेश सिसोदिया पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	04	1000.00	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री आनन्द विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, विक्रय पत्र एवं प्रमाण पत्र

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-1879 दिनांक 08/11/23

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\WIGYAPTI\JOINT (2023).docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3674

दिनांक:- 8/9/2023

सार्वजनिक सूचना


उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	सी-22	116.11	शिक्षा विहार (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स. समिति)	श्रीमती निशा लालवानी पत्नी स्व. श्री मेघराज लालवानी	श्रीमती गौरी हेमकार पत्नी श्री महेश चन्द्र हेमकार	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

147798

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	मृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जयकिशन मीणा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मीणा	श्रीमती रितु गुप्ता पत्नी श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं जय किशन मीणा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मीणा	व्यावसायिक भू.सं. ए-10	निजी खातेदारी	विनायक रेजीडेन्सी ए.बी.सी	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/क्रमांक:/डी- 3688
दिनांक 11/9/2023

उपायुक्त, जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3035

दिनांक 8/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व०ग०)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राम कुमार सिंह शेखावत पुत्र श्री इन्दर सिंह शेखावत	श्री ओमप्रकाश बग्गा पुत्र श्री गोपाल सिंह बग्गा	139	266.66	इन्द्रा गृ.नि.स.स.	श्री कुशल नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 06.12.2001 का होने से।

प्रतिलिपि:-

- जन्म सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1818

दिनांक 11-09-2023

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदिका/आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पटटा एवं लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका/आवेदक के पक्ष में एवं लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	82	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्रकला कॉलोनी	श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री कैलाश नारायण भीणा	श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री कैलाश नारायण भीणा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद साईड प्लान एवं समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 82 के आधार पर।
2	1ए	तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना माथुर वैश्य नगर	श्री चरणजीत खिप्पल पुत्र स्व. श्री त्रिलोचन्द खिप्पल	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल	पंजीकृत पटटा, पंजीकृत विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3035

दिनांक 8/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व०ग०)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	1. श्रीमती रेणु राज गोयल पत्नी श्री राजकुमार गोयल 2. राजीव गोयल पुत्र श्री वेदप्रकाश गोयल 3. श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री वेदप्रकाश गोयल	1. श्री मुकेश पुत्र श्री सत्यनारायण 2. श्री राजेन्द्र प्रजापत पुत्र श्री रामेश्वर लाल 3. श्रीमती नीरा कुमार पत्नी स्व० श्री के० कुमार 4. श्री आदित्य कश्यप पुत्र श्री के० कुमार 5. श्रीमती सीता प्रजापत पत्नी श्री राजेन्द्र प्रजापत	एस-10बी	127.77	निजी खातेदारी	सीताराम विहार	लीजडीड	मुख्तयार नामा होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. ज्ञान सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (6310) फैक्स - +91-141-2574555

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र-जयपुर/उपा/13/23/57-2361
लोक सूचना

दि-11/9/23

गैसर्स कोटियाई बैंकिट्स जरिये पार्टनर अनमोल कटारिया पता 126 के ग्रुप कॉर्पोरेट टावर, केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का फार्म हाऊस से मैरीज गार्डन प्रयोजन के उपयोग/पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिला/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	90ए/90बी	वर्तमान स्वामित्व
जयपुर /आगेर	कुक्स	1227	0.36 हेक्टे. में से 418.77 वर्गमीटर	प्रकरण संख्या 145/2006 दिनांक 04.01.06 को 90-बी फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		1244	0.28		
		1245	0.39 हेक्टे. में से 1295.08 वर्गमीटर		
		किता-3	4513.85 वर्गमीटर		

इसलिए, इसके द्वारा सगस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नम्बरो की भूमि की धारा 90बी दिनांक 04.01.2006 प्रकरण संख्या 145/2006 को फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ निर्णय पारित किया जा चुका है। वर्तमान में आवेदक द्वारा पूर्व में धारा 90बी शुदा भूमि में से मैरीज गार्डन एकल पट्टे हेतु निवेदन किया गया है। यदि आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि का मैरीज गार्डन प्रयोजनार्थ कार्यवाही किए जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी आदि को कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सगर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र/जोडिया/उपा/13/230-2363
लोक सूचना

15-11/13

मैसर्स कोटियाई बैंकिट्स जरिये पार्टनर अनमोल कटारिया पता 126 के ग्रुप कॉर्पोरेट टावर, केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का फार्म हाऊस से रिसोर्ट प्रयोजन के उपयोग/पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिला/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	90ए/90बी	वर्तमान स्वामित्व
जयपुर/आगेर	कुकस	1098	1.06 हेक्टे.	प्रकरण संख्या 145/2006 दिनांक 04.01.06 को 90-बी फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		1099	0.05 हेक्टे.		
		1100	0.66 हेक्टे.		
		1103	0.16 हेक्टे.		
		1105	0.23 हेक्टे. में से 826.70 वर्गमीटर		
		किता-4	20126.70 वर्गमीटर		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नम्बरो की भूमि की धारा 90बी दिनांक 04.01.2006 प्रकरण संख्या 145/2006 को फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ निर्णय पारित किया जा चुका है। वर्तमान में आवेदक द्वारा पूर्व में धारा 90बी शुदा भूमि में से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टे हेतु निवेदन किया गया है। यदि आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ कार्यवाही किए जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी आदि को कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11/11/13 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. जयपुर/विका/13/11-2362

दिनांक- 11/9/23

लोक सूचना

मैसर्स कोटियाई बैंकिट्स जरिये पार्टनर अनमोल कटारिया पता 126 के ग्रुप कॉर्पोरेट टावर, केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का फार्म हाऊस से मैरीज गार्डन प्रयोजन के उपयोग/पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिला/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	90ए/90बी	वर्तमान स्वामित्व
जयपुर /आमेर	कुकस	1245	0.39 हेक्टे. में से 381.06 वर्गमीटर	प्रकरण संख्या 145/2006 दिनांक 04.01.06 को 90-बी फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		1246	0.10 हेक्टे.		
		1247	0.16 हेक्टे.		
		1248	0.24 हेक्टे.		
		किता-4	5381.06 वर्गमीटर		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा नम्बरो की भूमि की धारा 90बी दिनांक 04.01.2006 प्रकरण संख्या 145/2006 को फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ निर्णय पारित किया जा चुका है। वर्तमान में आवेदक द्वारा पूर्व में धारा 90बी शुदा भूमि में से मैरीज गार्डन एकल पट्टे हेतु निवेदन किया गया है। यदि आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि का मैरीज गार्डन प्रयोजनार्थ कार्यवाही किए जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी आदि को कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102887

दिनांक: 11/09/2023

लोक सूचना

राजकुमार पुत्र श्री श्योजीराम जाति हरियाणा ब्रा. सा.देह.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अनिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	ममोरिया, सांगानेर (जयपुर)	राजकुमार पुत्र श्री श्योजीराम जाति हरियाणा ब्रा. सा.देह.	759	700	0.07
			765	800	0.08
			766	14200	1.42
			767	800	0.08
			768	3000	0.30
			769	500	0.05
				कुल	2.00

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अनिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर